भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1794

05 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रधानमंत्री आवास योजना

1794. श्री गोडम नागेश:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत दस वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25 जून, 2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है, ताकि देश भर में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ पक्के आवास उपलब्ध कराए जा सकें। इस योजना को चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), "स्व-स्थाने" स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। योजना के ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना घटक को छोड़कर, इस योजना को 31.12.2024 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि स्वीकृत सभी आवासों को फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति को बदले बिना पूरा किया जा सके।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के अनुभवों से सीख लेते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती

आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से देश भर के शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ परिवारों को किफायती लागत पर आवास बनाने, खरीदने और किराए पर लेने में सहायता करना है। आज तक, 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 17.09.2024 को जारी योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित करने हेतु सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं और यह https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल, 2016 से प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना, जो पहले 31.03.2024 तक थी, अब 31.03.2029 तक बढ़ा दी गई है, जिसका संचयी लक्ष्य बुनियादी सुविधाओं के साथ 4.95 करोड़ पक्के आवास बनाना है।

शुरूआत के बाद से दिनांक 25.11.2024 तक, शहरी क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा कुल 118.64 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 114.22 लाख आवास निर्माणाधीन हैं, और आवासों की 88.22 लाख से अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 3.33 करोड़ आवास आवंटित करने का कुल लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 3.21 करोड़ आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं तथा 2.67 करोड़ से अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं।

*****